

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 38/2020

निर्णय दिनांक -26.06.2020

1. श्रीमति अशोकादेवी पत्नि वरदीचन्द जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी विनोता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. कपिल पुत्र वरदीचन्द जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी विनोता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थीगण

//यनाम//

1. प्रह्लाद पिता अमृतराम जी जाति रावल(भौई) उग्र वयस्क निवासी शिवगढ़ तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़राज0।
2. पुष्पाकुवर पत्नि शिवसिंह जी जाति राजपुत उग्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़राज0।
3. मोहन लाल पिता वरदा जी जाति जटीया उग्र वयस्क निवासी विनोता तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. रामेश्वर पिता नानुराम जी जाति रावल उग्र वयस्क निवासी बरवाडा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. सोमेश्वर राव पिता श्यामराव जी जाति मराठा आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा वेनपुरीखुर्द पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 3 की आराजी नं0 139 रकबा 04200 हैक्टेयर आराजी नं0 264 रकबा 12600 हैक्टेयर आराजी नं0 322/139 रकबा 00800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17600 हैक्टेयर की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार कारतकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 600/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा वेनपुरीखुर्द पटवार हल्का भगवानपुरा तह0 निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 3 की आराजी नं0 139 रकबा 04200 हैक्टेयर आराजी नं0 264 रकबा 12600 हैक्टेयर आराजी नं0 322/139 रकबा 00800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 17600 हैक्टेयरकी किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज्ञा दिनांक 26.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

।.।
(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



Scanned with Cam

